भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1168

दिनांक 09 **फरवरी**, 2023

ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

†1168.**एडवोकेट ए.एम. आरिफ़**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कच्चे तेल के 'इंडियन बास्केट' की लागत में भारी कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कच्चे तेल की भारतीय बास्क्ट की मासिक औसत कीमत कितनी है और अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर राज्य और उत्पाद-वार कितना कर लगाया गया है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (ग) देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य कच्चे तेल के मूल्यों से नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हैं। कच्चे तेल के मूल्य जनवरी, 2022 में 84.67 यूएस डॉलर/बीबीएल से घटकर जनवरी, 2023 में 80.92 यूएस डॉलर/बीबीएल हो गए, जबकि इसी अवधि के दौरान पेट्रोल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य 96.16 यूएस डॉलर/बीबीएल से थोड़ा सा घटकर 95.59 यूएस डॉलर/बीबीएल हो गया और डीजल का मूल्य 97.09 यूएस डॉलर/बीबीएल से बढ़कर 111.22 यूएस डॉलर/बीबीएल हो गया। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार-निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य-निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लेती हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के एच1 में 28360 करोड़ रुपए के समेकित 'कर पूर्व लाभ' के सापेक्ष, तीन ओएमसीज अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के एच1 में 27276 करोड़ रुपए का समेकित घाटा दर्ज किया है।

औसत सऊदी सीपी मूल्य, जिन पर घरेलू एलपीजी के मूल्य आधारित होते हैं, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 454 यूएस डॉलर/एमटी से बढ़कर 693 यूएस डॉलर/एमटी हो गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी, 2023 तक औसत सऊदी सीपी और बढ़कर 710 यूएस डॉलर/एमटी हो गया है। कच्चे तेल के भारतीय बास्केट का मूल्य वर्ष 2019-20 में 60 डॉलर/बीबीएल से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 79 डॉलर/बीबीएल हो गया है और वर्ष 2022-23 के दौरान उसी उच्च स्तर पर बना हुआ है।

कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक अस्थिरता और बढ़े हुए मूल्यों के कारण अधिकांश विकसित देश उच्च पेट्रोल और डीजल मूल्यों के चपेट में हैं। उदाहरण के लिए यूएस में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में अक्टूबर, 2020 से अक्टूबर 2022 की अवधि में क्रमशः 98% और 145% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत (दिल्ली) में इसी अवधि के दौरान क्रमशः केवल 19% और 27% की वृद्धि हुई है।

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है। इन उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, खपत को बढ़ावा देना एवं मुद्रास्फीति को नीचे रखना है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की जा सके।

देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एटीएफ पर लगाए विभिन्न करों और शुल्कों का विवरण निम्नानुसार है -

सीमा शुल्क

- पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क की दर 2.5% + 10% सामाजिक कल्याण अधिभार है।
- एटीएफ पर सीमा शुल्क की दर 5% है।

उत्पाद शुल्क

- पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरें निम्नानुसार है -

(रुपए प्रति लीटर)

प्रभावी तारीख	**पेट्रोल***	**डीजल**
22.05.2022	19.90	15.80

***नोट- दिनाँक 01.11.2022 से खुदरा बिक्री के लिए आशयित अमिश्रित पेट्रोल (एथेनॉल या मेथेनॉल के मिश्रित नहीं) पर 2 रुपए/लीटर की दर से अतिरिक्त बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाया गया है।**

एटीएफ पर 11% का उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

माल एवं सेवा कर (**जीएसटी**)

घरेलू एलपीजी पर 5% का जीएसटी लगाया गया है।

मूल्य वर्धित कर (**वैट**)

दिनाँक 03.02.2023 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट/बिक्री कर का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

दिनाँक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार एटीएफ पर लागू वैट/बिक्री कर (जैसा आईओसीएल से प्रा त हुआ है) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

****

"ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट" विषय पर एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा दिनाँक 9 फरवरी, 2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1168 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-क

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 03 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार वैट/बिक्री कर दरें	
		पेट्रोल	डीजल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1%	1%
2	आं प्रदेश	31% वैट+रु 4/ली वैट +रु1/ली सड़क विकास उप कर व उस पर वैट	22.25%वैट+रु 4/ली वैट+रु1/ली सड़क विकास उपकर व उस पर वैट
3	अरुणाचल प्रदेश	14.50%	7.00%
4	असम	20.67% या 15.50 रुपए प्रति ली. जो भी अधिक हो	18.32% या 11.50 रुपए प्रति ली. जो भी अधिक हो तथा 11.50 रुपए प्रति ली. के न्यूनतम कर के अध्यधीन 1.78 रुपए प्रति लीटर की छूट
5	बिहार	23.58% या रु 16.65 / लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	16.37% या 12.33 / लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
6	चंडीगढ़	रु.10/केएल उप कर+15.24% या रु.12.42/ली जो भी अधिक	रु.10/केएल उप कर+6.66% या रु. 5.07/ली जो भी अधिक
7	छ तीसगढ़	24% वैट + 2 रुपए/लीटर वैट	23% वैट + 1रुपए/लीटर वैट
8	दादरा और नागर एवं हवेली और दमन और दीव	12.75% वैट	13.50% वैट
9	दिल्ली	19.40% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
10	गोवा	20% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	17% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
11	गुजरात	13.7% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर	14.9% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर
12	हरियाणा	18.20% या रु. 14.50 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16.00% वैट या रु 11.86/ लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
13	हिमाचल प्रदेश	17.50% या 13.50 / लीटर - जो भी अधिक हो	9.96% या रु 7.40/लीटर - जो भी अधिक हो
14	जम्मू और कश्मीर	24% एमएसटी +2 रु/ली रोजगार उप कर, रु 4.50/ली की कमी	16% एमएसटी + रु 1.00/ली रोजगार उप कर, रु.6.50/ली की कमी
15	झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या रु 17.00 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या रु 12.50 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + उप कर 1.00 रुपये प्रति लीटर
16	कर्नाटक	25.92% बिक्री कर	14.34% बिक्री कर
17	केरल	30.08% बिक्री कर + 1 रु / ली अतिरिक्त बिक्री कर +1% उप कर	22.76% बिक्री कर + 1 रु / ली अतिरिक्त बिक्री कर +1% उप कर
18	लद्दाख	15%एमएसटी+रु 5/लीटर रोजगार उप कर, रु2.5/लीटर छूट	6% एमएसटी+रु 1/लीटर रोजगार उप कर, रु 0.50/ली. छूट
19	लक्षद्वीप	10% वैट	10% वैट
20	मध्य प्रदेश	29% वैट + रु 2.5 / लीटर वैट + 1% उप कर	19% वैट + रु 1.5/ लीटर वैट + 1% उप कर
21	महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और औरंगाबाद	26% वैट + रु. 5.12 / लीटर अतिरिक्त कर	24% वैट
22	महाराष्ट्र (शेष राज्य)	25% वैट + रु. 5.12 / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
23	म णपुर	25% वैट	13.50% वैट
24	मेघालय	13.50% या रु 12.50/ली-जो भी अधिक हो	5% या 5.50 रु./ली-जो भी अधिक हो (0.10/ली

		(0.10/ली प्रदूषण अधिभार)	प्रदूषण अधिभार)
25	मिजोरम	16.36% वैट	5.23% वैट
26	नगालैंड	25% वैट या रु 16.04/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव तथा रु. 5.50/लीटर की छूट घटाएं	16.50% वैट या रु 10.51/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव तथा रु. 5.1/लीटर की छूट घटाएं
27	ओडिशा	28% वैट	24% वैट
28	पुदुच्चेरी	14.55% वैट	8.65% वैट
29	पंजाब	रु.2050/केएल (उप कर)+ रु 0.10 प्रति ली (शहरी परिवहन निधि) +0.25 प्रति ली (विशेष बुनियादी विकास शुल्क)+13.77% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर या रु.12.50/ली, जो भी अधिक हो	रु.1050/केएल (उप कर)+रु 0.10 प्रति ली(शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति ली (विशेष बुनियादी विकास शुल्क)+9.92% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर या रु. 8.24/ली, जो भी अधिक हो
30	राजस्थान	31.04 % वैट + 1500 / केएल सड़क विकास उप कर	19.30 % वैट + रु. 1750 / केएल सड़क विकास उप कर
31	सिक्किम	20% वैट + रु 3000 / केएल उपकर	10% वैट + रु. 2500 / केएल उपकर
32	तमिलनाडु	13% + रु. 11.52 प्रति लीटर	11% + रु. 9.62 प्रति लीटर
33	तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
34	त्रिपुरा	17.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर	10.00% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर
35	उत्तर प्रदेश	19.36% या 14.85रुपए/ लीटर जो भी अधिक हो	17.08 % या 10.41 रुपए/लीटर जो भी अधिक हो
36	उत्तराखंड	16.97% या 13.14 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.15% या रु 10.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो
37	पश्चिम बंगाल	25% या रु.13.12/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है +1000/केएल उप कर - रु 1000/केएल की बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर)	17% या रु. 7.70/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है +1000/केएल उप कर - रु 1000/केएल की बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर)
स्रोत: ओएमसीज			

***

"ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट" विषय पर एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा दिनाँक 9 फरवरी, 2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1168 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-ख

दिनाँक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार वैट/बिक्री कर की दरें

राज्य/संघ शासित प्रदेश	**एटीएफ**
सिक्किम	1.00%
पश्चिम बंगाल	25.00% + कर पर 20% अतिरिक्त कर बागडोगरा एएफएस के लिए- शून्य (कोई कर नहीं) दिनाँक 21.09.2021 से आरसीएस के तहत उड़ानों के लिए 0.84%+ कर पर 20% अतिरिक्त कर
चंडीगढ़	20.00% (एमएसटी:- 10/- रुपए प्रति केएल)
हिमाचल प्रदेश	रक्षा क्षेत्र के लिए 17.5 % या 13.5 रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिक हो तथा अनुसूचित एयरलाइनों और गैर अनुसूचित एयरलाइनों के लिए 2%
जम्मू और कश्मीर	एमएसटी 1%
पंजाब	क) 4.00% + 10 % का कर पर अधिभार - या त्रयों के ले जा रहे अनुसूचित एयरलाइनों और गैर अनुसूचित एयरलाइनों के लिए पंजाब में एयरपोर्ट पर बेचा गया हो, ख)अन्य के लिए अवशिष्ट दर 13% की दर से + 10.00 % का कर पर अधिभार
लद्दाख	सिविल फ्लाइटों के लिए एमएसटी 1 % रक्षा क्षेत्र और अन्य के लिए 26.25 %
छ तीसगढ	4.00%
मध्य प्रदेश	4.00%
कर्नाटक	18.00%
दिल्ली	25.00%
हरियाणा	यात्री फ्लाइटों के लिए = 1%, एमआरओ में लगाई गई और साहसिक गतिविधियों के लिए फ्लाइट = 1% अन्य के लिए = 20%, वैट पर अतिरिक्त कर 5%
ओडिशा	5.00%
बिहार	29.00% गया एएफएस - 4%
झारखंड	4.00%
राजस्थान	क) 26% , ख) 5.50% जब एयरलाइन हब बनाए रखे या राजस्थान के दो नगरों को जोड़े ग) 10.00% अनुसूचित व्यावसायिक उड़ान द्वारा राजस्थान के किसी भी नगर (जयपुर के अलावा) को जोड़ने वाले विमान में उपयोग के लिए किसी भी एयरलाइन को एटीएफ की बिक्री पर
उत्तर प्रदेश	1.00%
असम	23.65%
म णपुर	1.00%
मेघालय	छूट प्रा त है
मिजोरम	1.00%
नगालैंड	1%, कर पर अधिभार 5%
िपुरा	1.00%
अरुणाचल प्रदेश	1.00%

उत्तराखंड	2.00%
गुजरात	एटीएफ शुल्क का भुगतान :- 5%
दादरा नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ शासित प्रदेश	3.00%
महाराष्ट्र	एटीएफ – मुंबई, पुणे, रायगढ़ में शुल्क का भुगतान :-25.00%, एटीएफ – शुल्क का भुगतान, मुंबई, पुणे, रायगढ़ को छोड़कर 5.00%
पुदुच्चेरी	14.50%
तमिलनाडु	29.00%
केरल	5%, कर पर 1% उपकर तिरुवंतपुरम एएफएस : बिक्री कर 1% और बिक्री कर पर उपकर 1% की दर से (दिनाँक 01.04.2020 से 10 वष के लिए). नेदुम्बस्सेरी एएफएस और कालीकट एएफएस घरेलू एयरलाइनों के लिए एटीएफ : दिनाँक 14.08.2020 से 10 वष के लिए बिक्री कर 1% और बिक्री कर पर उपकर 1% की दर से कन्नूर एएफएस से - बिक्री कर 1% और बिक्री कर पर उपकर 1% की दर से (दिनाँक 03.11.2018 से 10 वष के लिए)
गोवा	18% गोवा हरित उपकर- वैट को छोड़कर टर्नओवर पर 0.50%
आं प्रदेश	1.00%
तेलंगाना	1.00%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00%

स्रोत - आईओसीएल